न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 750–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–2–16 पारित द्वारा तहसीलदार, वृत्त बिलौआ, तहसील डबरा प्रकरण कमांक 43/2015–16/बी–121.

शान स्टोन केसर
द्वारा प्रो. शेरू खान वल्द छोटे खॉ
निवासी ए.बी. रोड, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर
पूनम सिंह पत्नी वी.पी.सिंह राजावत
निवासी मिलेनियम प्लाजा गोविंदपुरी
ग्वालियर .....अनावेदक

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, वृत्त बिलौआ, तहसील डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–2–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक राजावत स्टोन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रोपराइटर पूनम सिंह के पति वी.पी. सिंह ने तहसीलदार, डबरा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि पहाड़ ग्राम बिलौआ स्थित उसकी लीज सर्वे कमांक 3717/1

है, जिस पर आने–जाने के रास्ते को आवेदक द्वारा अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 43/2015–16/बी–121 दर्ज कर प्रकरण में कार्यवाही की जाकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को कृषि भूमि के संबंध में संहिता की धारा 131 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है, मायनिंग भूमि पर संहिता की धारा 131 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा व्यवहार वाद कमांक 105 ए/15 प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 15–12–2015 द्वारा निरस्त हो चुका है, जिसके विरूद्ध अपील में स्थगन भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 257 में रास्ते के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अंतर्गत एक ही बिन्दु पर दो न्यायालयों में प्रकरण नहीं चल सकते हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदन प्रस्तुति के दिनांक को कोई स्थगन नहीं था । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा मायनिंग विभाग का नक्शा प्रस्तुत किया गया था, उक्त नक्से में आवेदक को जो लीज सर्वे कमांक 3624/1 की दी गई है, उसमें किसी भी प्रकार के रास्ते का उल्लेख नहीं है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है, इसलिए ए.डी.जे. कोर्ट के आदेश का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सुखाधिकार लीज होल्डर को नहीं है, इसके लिए 20 वर्ष का कब्जा होना चहिए । यह भी कहा गया कि ब्लेजर शब्द नहीं है, बल्कि कस्टीवेटर है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक को कोई स्थगन नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मायनिंग का पट्टा अनावेदिका पूनम सिंह के नाम पर है, इसलिए अनावेदिका के पति वी.पी. सिंह की कोई लोकसस्टेंडाई नहीं है, इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में रास्ता कहां रोका गया है, इसका उल्लेख नहीं है।

तर्कों के समर्थन में 1998 (II) MPWN 198 SN, 2010 (II) MPWN 11 SN एवं 1997 आर.एन. 278 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय का स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक तक अस्तित्व में था, जो बाद में अपील में निरस्त हुआ है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में नक्शा महत्वहीन है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वह केवल सिविल में दो वाद प्रस्तुत करने के संबंध में है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रीमेच्यओर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 के अंतर्गत निस्तारी भूमि का रास्ता दिलाये जाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण वह जवाब देने में असमर्थ है, जो कि पूर्णतः निराधार आपत्ति है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार अंतर्गत तहसीलदार, वृत्त बिलौआ, तहसील डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–2–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर